पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2018 ई0 (कार्तिक 26, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–46

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	695–725	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1149–1155	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 1212/XX-7/2018-01(67)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी किये गये सभी वर्तमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस बल के घुड़सवार पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण व स्थायीकरण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस अधीनस्थ सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3. जब तक कि बिषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में:–

(क) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से आरक्षी व मुख्य आरक्षी पुलिस घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है तथा उपनिरीक्षक, घुड़सवार पुलिस के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक अभिप्रेत है,

(ख) **''संविधान''** से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(ग) **''भारत का नागरिक''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(घ) **''राज्यपाल''** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(ड.) **''सरकार''** से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

(च) **''विभागाध्यक्ष''** से पुलिस महानिदेशक अभिप्रेत हैं।

(छ) **''सेवा का सदस्य''** से इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ज) **''घुड़सवार पुलिस''** से उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस बल की घुड़सवार पुलिस अभिप्रेत है।

(झ) **''पुलिस मुख्यालय''** से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है।

(ट) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक, घुडसवार पुलिस सेवा अभिप्रेत है।

(ठ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

(ड) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की वर्तमान सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो।

परन्तु यह कि:–

(एक) उत्तराखण्ड शासन कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकेगा।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेगा या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकेंगे, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकेंगे, जैसा वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत, अर्हताएं एवं योग्यताएं

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(क) **आरक्षी घुड़सवार पुलिस:**– आरक्षी घुड़सवार पुलिस के शत–प्रतिशत पदों पर चयन पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षियों में से विभागीय समिति के माध्यम से भरे जायेंगे, जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों:–

(1) पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो एवं सेवा अभिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

(2) आरक्षी की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिसः–

(1) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी घुडसवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुडसवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पदों पर चयन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी घुडसवार पुलिस में से जिनके द्वारा "एडवांस कोर्स चयन परीक्षा" उत्तीर्ण कर ली हो तथा घुडसवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ग) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिसः–

(1) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुडसवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से ऐसे मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस में से भरे जायेगें, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

<u>टिप्पणी</u>– अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उप निरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा।

भाग–चार– भर्ती की प्रक्रिया

आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर चयन हेतु अर्हताएं

6. **आरक्षी घुडसवार के पद पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं पूर्ण करने वाले आरक्षियों को घुडसवार पुलिस में नियुक्त किये जाने हेतु चयन समिति के माध्यम से चयन किया जायेगाः–**

(क) आरक्षी, घुडसवार पुलिस में नियुक्त किये जाने का इच्छुक हो।

(ख) आरक्षी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो, जिसके लिए चयन के समय चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) आरक्षी पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो एवं सेवा अभिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

(घ) आरक्षी की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो।

(ड.) चयनित आरक्षियों को विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण कराया जायेगा, परीक्षा में असफल आरक्षियों को उनके मूल इकाई में वापस भेज दिया जायेगा।

आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर चयन हेतु समिति

7. विभाग में आरक्षी घुडसवार पुलिस की रिक्तियों की पूर्ति पुलिस की विभिन्न शाखाओं में नियुक्त घुडसवार पुलिस में नियुक्ति के इच्छुक पात्र आरक्षियों के चयन से की जायेगी। चयन समिति का गठन निम्नवत किया होगाः–

(क) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – अध्यक्ष।
(ख) अपर पुलिस अधीक्षक – सदस्य।
(ग) पुलिस उपाधीक्षक –सदस्य।

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का होगा।

उक्त चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध करायेगी, जिस पर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा एवं उसके पश्चात् नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।

मुख्य आरक्षी, घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

8. (1) **मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया**:– मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति "एडवांसकोर्स चयन परीक्षा" उत्तीर्ण करने पर आरक्षी, घुडसवार पुलिस में से प्रोन्नत किये जायेंगे।

(I) निम्नलिखित पात्रता शर्ते पूर्ण करने वाले आरक्षी घुडसवार पुलिस एडवांस कोर्स के लिए विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगेः–

(क) **आयु**–भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(ख) **अनुभव**–आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर भर्ती के वर्ष के पहले दिन को न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो।

(ग) **सेवा अभिलेख**– विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो।

यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी की अपील /विभागीय कार्यवाही परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

विगत 05 वर्ष से पूर्व के 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(II) **चयन समिति**– पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होगेः–

(क) पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के अधिकरी– सदस्य

(ग) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी समिति की सहायतार्थ आवश्यकतानुसार नामित किये जायेगे।

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का होगा।

(III)**लिखित परीक्षाः**–लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी होगी,जैसी **परिशिष्ट–2** में निर्धारित है।

(IV)**परीक्षाफल की घोषणाः**–लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तथा प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अन्तिम योग्यता सूची चयन समिति द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(V) **मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर प्रोन्नति, प्रशिक्षणः**– उपरोक्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कर्मियों को 03 माह का एडवांस कोर्स कराया जायेगा, जिसमें उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनके द्वारा किये गये एडवांस प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके आरक्षी पद पर सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी।

(VI) **मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर चयनः**– मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर प्रादेशिक स्तर पर हुये रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

(VII) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आधार शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को छोड़कर वरिष्ठता होगा। वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षी घुडसवार के पद पर नियुक्ति की तिथि से नियमानुसार निर्धारित होगी। पात्र आरक्षी, घुडसवार पुलिस को नियमानुसार 03 माह का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(2) उपनिरीक्षक, घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति की प्रक्रियाः–

(1) सेवा अवधिः–मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा होनी अनिवार्य है।

(2) आयु का निर्धारणः–घुडसवार पुलिस के उपनिरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति के लिए भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो।

उपरोक्त अर्हताएं पूर्ण करने वाले मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रादेशिक योग्यता परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह होंगे।

(3) **संख्या का निर्धारण एवं चयन समिति का गठनः**— प्रत्येक भर्ती वर्ष में उपनिरीक्षक की विद्यमान रिक्तियों व वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों की गणना की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा नामित चयन समिति अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन विभागीय परीक्षा आयोजित करेगी तथा पदोन्नति हेतु मुख्य आरक्षियों को अनुमोदित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी घुडसवार से उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगीः—

1—पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक —अध्यक्ष
2—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक —सदस्य
3—सहायक पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक —सदस्य

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का होगा।

(4) गठित चयन समिति लिखित, वाह्य परीक्षा आयोजित करायेगी तथा सेवाभिलेखों का मूल्यांकन करेगी। समिति इस हेतु किसी घुडसवारी की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकेगी।

(5)**लिखित परीक्षाः**—लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी **परिशिष्ट—3** में निर्धारित है।

(6) **परीक्षाफल की घोषणाः**—लिखित बाह्य परीक्षा, सेवा अभिलेख में प्राप्त अंको के योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची (Merit List) तैयार की जायेगी तथा आरक्षित वर्गों के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियों में से रिक्तियों के समतुल्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए परीक्षाफल पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के पश्चात् घोषित किया जायेगा।

(7) अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

पदनाम सम्बन्धी उपबन्ध **9.** ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा को मिलाकर) के संन्दर्भ में 16 वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) के कार्यो का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा एवं वे सहायक उप निरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे।

भाग– पांच

नियुक्ति,प्रशिक्षण,परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

10. नियम 8 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त चयन सूची भी जारी की जायेगी, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाये या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परन्तु यह कि इस नियम के प्रयोजन हेतु नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी तथा जिस आरक्षी का एक बार घुडसवार पुलिस में आबंटन हो जायेगा, उसे संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

प्रशिक्षण

11. आरक्षी के पद पर नियम 7 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही दिया जाता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

परिवीक्षा

12. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएगे, अलग–अलग मामलो में परिवीक्षा अवधि को बढा सकेगा जिसमें ऐसी दिनांक विनिर्दिष्ट की जायेगी जब तक अवधि बढाई जाय: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त

उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(5)नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।

स्थायीकरण 13. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो।

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो: और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहॉ उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, को स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 14. **(1) आरक्षी घुडसवार के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–**

(क) घुडसवार पुलिस में चयन के पश्चात् घुडसवार पुलिस के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से।

(ख) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक समान होने पर आरक्षी के पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठ आरक्षी को वरिष्ठ मानते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) आरक्षी के पद पर भर्ती तिथि समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(घ) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी घुडसवार पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(2)पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त घुडसवार पुलिस कर्मियो की

ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। अगर किसी पद के लिए प्रोन्नति, परीक्षा के माध्यम से है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा प्रेषित अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर प्रोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर है तो एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी। यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(3) उपरोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी अगर ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत आदेश जारी कर किया जायेगा।

भाग–छः– वेतनमान

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन 15. (1) परिवीक्षा के दौरान वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

वेतनमान 16. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कर्मियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) सेवा के सदस्यों का वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ के समय निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	पदों का विवरण	वेतनमान/वेतन लेवल
1	उपनिरीक्षक,घुडसवार पुलिस	वेतन लेवल–7 रू0 44900–142400
2	मुख्य आरक्षी,घुडसवार पुलिस	वेतन लेवल–4 रू0 25500–81100
3	आरक्षी, घुडसवार पुलिस	वेतन लेवल–3 रू0 21700–69100

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

भाग–सात
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **17.** सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **18.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति,राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण **19.** यदि राज्य सरकार का समाधान हो ताकि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इन मामलें में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी, जो वह मामले के संबंध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये उचित समझे।

परिशिष्ट–1
नियम–4(2) देखें

पद का नाम	स्वीकृत नियतन
आरक्षी, घुड़सवार पुलिस	35
मुख्य आरक्षी, घुड़सवार पुलिस	16
उपनिरीक्षक, घुड़सवार पुलिस	03

परिशिष्ट–2
नियम–8(1)(III) देखें

(क) मुख्य आरक्षी, घुडसवार के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा:–

(1) सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी (25 प्रश्न) –50 अंक
(2) पुलिस प्रक्रिया (25 प्रश्न) –50 अंक
(3) अश्व पालन/अनुरक्षण से सम्बन्धित (100प्रश्न)–200 अंक

लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक ही वस्तुनिष्ठ(Objectivetype)प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग में अश्व पालन/अनुरक्षण से सम्बन्धित होगा। कुल प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होगें। प्रत्येक सही प्रश्न के लिये 02 अंक निर्धारित होगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्नसंख्या 26 से 50 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 51 से 150 तक अश्व पालन/अनुरक्षण से सम्बन्धित होगे। प्रश्न–पत्र हल करने हेतु 02 घण्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्नपत्र हाई स्कूल स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग में कान्स0 के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। अश्व पालन/अनुरक्षण का प्रश्न पत्र अश्व के पालन/चिकित्सा आदि से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्याकंन पुलिस मुख्यालय स्तर पर निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार कराई जायेगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। इसके अतिरिक्तघुडसवार की परीक्षा को सम्पन्न कराने हेतु घुडसवार पुलिस के किसी प्रभारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है। चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर(Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होगे।

(ख)वाह्य परीक्षा:–वाह्य परीक्षा निम्न प्रकार करायी जायेगी:–

(1) जम्प– 4 बार
(ख) टैण्ट पैंगिग– 4 बार

प्रत्येक अभ्यर्थियों को चार जम्प करायी जायेगी जिसमें कम से कम दो जम्पों में सफल होना आवश्यक है इसी प्रकार अभ्यर्थियों का चार टैण्ट पैंगिंग करनी होगी। उपरोक्तानुसार सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन इस निमित्त समिति के माध्यम से कराया जायेगा, जो बाह्य परीक्षा सफल करने में विफल होगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(ग) सेवा अभिलेखों का परीक्षण:– सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे जिनका निर्धारण/मानक निम्न प्रकार किया जायेगा:–

(1) कोर्स (10 अंक अधिकतम)

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स —02 अंक

(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स —04 अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स —06 अंक
(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स —08 अंक

(बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नही की जायेगी)

(i)बेसिक कोर्स के अंतर्गत निम्न कोर्स रखे जायेगें—

1—कानि0 का आधारभूत प्रशिक्षण।

2— ड्राईवर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, आरमोरर कोर्स, बिगुलर कोर्स, शैडो—गनर कोर्स, आईटीआई—पीटीआई कोर्स, घुड़सवार पुलिस कोर्स, यातायात पुलिस कोर्स, कुम्भ मेला प्रशिक्षण, सीसीटीएनएस कोर्स, आपदा कोर्स।

3— उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी ऐसे कोर्स/प्रशिक्षण, जो किसी पद पर नियुक्ति हेतु किये जाने के लिए अनिवार्य हो।

(ii)किसी तकनीकी पद जैसे— बम डिस्पोजल स्क्वॉयड/ आरमोरर/बिगुलर/चालक पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किये गये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रदान किये जायेगें।

(2)पुरस्कार/पदक—(अधिकतम—25 अंक)

(क)प्रत्येक नगद पारितोषिक के लिए— 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)

(ख)महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक —10 अंक
मा0 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक —10 अंक
वीरता पुलिस पदक —10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक —08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक —06 अंक
मा0 मुख्यमंत्री पदक —06 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह —04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह —02 अंक

(3)वार्षिक मन्तव्य (अधिकतम 15 अंक)

(क)उत्कृष्ट श्रेणी/सर्वोत्कृष्टOut Standing-02 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(ख) अतिउत्तम/बहुत अच्छा Very good/Excellent—01 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(4) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षो से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी ।

(3) विगत 05 वर्षो से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी।

(4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।

(5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

परिशिष्ट—3
नियम—8(2)(5) देखें

(क) उपनिरीक्षक, घुडसवार के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा:—

1— सामान्य ज्ञान व हिन्दी—30 अंक

2— वेटर्नरी परीक्षा—30 अंक

लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 30 अंक सामान्य ज्ञान व सामान्य हिन्दी एवं 30 अंक वेटर्नरी से सम्बन्धित होगे। इसमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही बाह्य परीक्षा (राइडिंग, जम्प, ट्रेप ड्रिल, सोर्ड एण्ड लैन्स) में सम्मिलित किया जायेगा। लिखित परीक्षा केवल छंटनी के लिए होगी व इसके अंक वरीयता अथवा चयन हेतु मान्य नहीं होगे।

(ख)बाह्य परीक्षा:—बाह्य परीक्षा 140 अंको की होगी। अंको का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा। उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा:—

1— राईडिंग स्कूल—35 अंक

2— जम्प —35 अंक

3— ट्रेप ड्रिल—35 अंक

4—सोर्ड एण्ड लैन्स—35 अंक

(ग)सेवा अभिलेखों का परीक्षण:—सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे जिनका निर्धारण/मानक निम्न प्रकार किया जायेगा:—

(1)कोर्स (10 अंक अधिकतम)

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स —02 अंक

(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स —04 अंक

(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स —06 अंक

(घ)01 माह से अधिक का कोर्स —08 अंक

(बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नही की जायेगी)

(i)बेसिक कोर्स के अंतर्गत निम्न कोर्स रखे जायेगें—

1—कानि0 का आधारभूत प्रशिक्षण।

2— ड्राईवर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, आरमोरर कोर्स, बिगुलर कोर्स, शैडो—गनर कोर्स, आईटीआई—पीटीआई कोर्स, घुड़सवार पुलिस कोर्स, यातायात पुलिस कोर्स, कुम्भ मेला प्रशिक्षण, सीसीटीएनएस कोर्स, आपदा कोर्स।

3— उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी ऐसे कोर्स/प्रशिक्षण, जो किसी पद पर नियुक्ति हेतु किये जाने के लिए अनिवार्य हो।

(ii)किसी तकनीकी पद जैसे— बम डिस्पोजल स्क्वॉयड/ आरमोरर/बिगुलर/चालक पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किये गये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रदान किये जायेगें।

(2)पुरस्कार / पदक–(अधिकतम–25 अंक)

(क)प्रत्येक नगद पारितोषिक के लिए– 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)

(ख)महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक	–10 अंक
मा0 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक	–10 अंक
वीरता पुलिस पदक	–10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक	–08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक	–06 अंक
मा0 मुख्यमंत्री पदक	–06 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह	–04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	–02 अंक

(3)वार्षिक मन्तव्य (अधिकतम 15 अंक)

(क)उत्कृष्ट श्रेणी / सर्वोत्कृष्टOut Standing-02 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(ख) अतिउत्तम / बहुत अच्छा Very good/Excellent–01 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(4) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षो से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी ।

(3) विगत 05 वर्षो से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी।

(4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।

(5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षो के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षो का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 1212/XX-7/2018/01(67)/2016,** dated September 25, 2018 for general information :

NOTIFICATION

September 25, 2018

No. 1212/XX-7/2018/01(67)/2016--In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Uttarakhand Police Act 2007 (Act No. 1 of 2008) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules for the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation of the Constable Mounted Police, Head Constable Mounted Police and Sub Inspector Mounted Police:-

UTTARAKHAND MOUNTED POLICE SERVICE RULES, 2018

Part I: General

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called The Uttarakhand Mounted Police Service Rules, 2018.

(2) It shall come into force at once.

Status of service

2. The Uttarakhand Mounted Police Service is a Subordinate State service, comprising Group –C posts.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) **"Appointing Authority"** means the Superintendent of Police Concerned regarding to the Constable Mounted Police and Head Constable Mounted Police and Inspector General/Deputy Inspector General regarding to the Sub-Inspector.

(b) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(c) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under PartII of the Constitution;

(d) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(e) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **"The Head of Department"** means the Director General of Police, Uttarakhand;

(g) **"Member of service"** means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(h) **"Mounted Police"** means the Horse Rider Police of Uttarakhand;

(i) **"Police Headquarters"** means the Office of the Director General of Police, Uttarakhand

(j) **"Service"** means the Uttarakhand Police Constable, Head Constable and Sub Inspector mounted police Service;

(k) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the Cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(l) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing on the 1st day of July of the calendar year;

Part II- Cadre

Cadre of service : 4 **(1)** The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as maybe determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1)as given in **Appendix-1.**

Provided that:-

(i) the State Government may re determine the number of posts for various units out of the total number of sanctioned posts.

(ii) the Appointing Authority may leave a vacant post unfilled or the Governor may keep in abeyance any vacant post to which no person shall entitle for any Compensation.

(iii) the Governor may create any such additional permanent or temporary post, as he may deem fit .

Part III- Recruitment

Source of Recruit-ment and qualifica-tions **5.** Recruitment to the various posts of the service shall be made from the following resources:.

(A) Constable MountedPolice : The 100 percent posts of Constable Mounted Police shall be filled through the selection amongst constables working in various branches of the Police Department by the Departmental Selection Committee, who fulfill the following conditions:-

(1) must have served for at least 05 years in the post of Constable and there must not have any adverse entry in service record.

(2) the maximum age of the Constable must not be more than 30 years.

(B)Head Constable Mounted Police:

(1) The selection to 50 percent of the total posts of Head Constable Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Constables Mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police by including the first day in the probation period.

(2) The selection to 50 percent from amongst the substantively appointed Constables of Mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police, through Advance Course Selection Examination.

(C) Sub-Inspector MountedPolice :

(1) The selection to 50 percent of the total posts of Sub-Inspector Mounted Police shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of

unfit, from amongst the substantively appointed Head Constables Mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police by including the first day in the probation period.

(2) The selection to 50% from amongst the substantively appointed Head constables of mounted Police, who have completed 05 years of service in Mounted Police on the first day of recruitment year including the probation period through examination on basis of qualification by promotion.

Note: Only those candidates who have passed the qualifying test shall be considered for promotion to the post of Sub-Inspector Mounted Police.

Part IV- Procedure of Recruitment

Qualifications for the post of Constable, Mounted Police

6. For appointment to the post of Constable Mounted Police, the Constable who fulfill the following qualifications shall be called by the selection committee:-

(A) The constable must be willing to join Mounted Police.

(B) The constable is not infected by any kind of disease at the time of selection for which have to produce the fitness certificate of the doctor.

(C) The Constable must have served for atleast 05 years on the post of Constable and there must be no adverse entry in the service record.

(D) The maximum age of the Constable must not be more than 30 years.

(E) The selected candidates shall undergo a training prescribed by the department and the Constable unsuccessful in exam shall be reverted to their original unit.

The committee for selection to Constable Mounted Police

7. The post of Constable Mounted Police in the department shall be filled from amongst the Constable appointed in various branches of police willing to be join as Mounted Police

The Selection committee shall be constituted as under:

(A) Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police -Chairman

(B) Additional Superintendent of Police -Member

(C) Deputy Superintendent of Police -Member

The above committee shall consist of atleast one officer from the scheduled castes, scheduled tribes or any other backward classes.

The abovesaid selection committee shall provide final list of candidates with its approval to Police Headquarters on which the approval from the D.G.Police/ I.G.Police shall be acquired and thereafter the appointing letter shall be issued.

The procedure of promotion on the post of Head Constable Mounted Police

8\. **(1) The process of promotion to the post of Head Constable Mounted Police**:- The 50 percent of the total posts sanctioned for Head Constable Mounted Police shall be promoted on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Government orders, and the remaining 50 percent from amongst the Constable Mounted Police on passing the "Promotion advance course selection exam":-

(I) Constable Mounted Police who fulfill the following eligibility conditions shall be eligible to appear in departmental test for Advance Course:-

(A) Age - The age on the first day of recruitment year must have not been more than 45 years.

(B) Experience - must have completed 05 years service as Constable Mounted Police on the 01st day recruitment year.

(C) Service Record- The service records for the last 5 years must have been satisfactory no adverse entry must have been made and in the last 5 years integrity has not been questioned. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employees shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected or he is punished in the departmental proceedings/prosecution, the concerned employee will be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. For the 5 years before the last 5 years 2 marks shall be deducted for a adverse entry of every year.

(II) Selection Committee- For the eligible candidate a written test and physical efficiency test shall be organized by the selection committee to be constituted on police headquarters level. The chairman/member of the selection committee shall be as follows:-

(a) An officer of the level of Deputy Inspector General of Police - Chairman

(b) Superintendent of Police/ Commandant Rank Officer - Member

(c) The Additional Superintendent of Police/Deputy

Superintendent of Police Level Officer shall be nominated to assist the selection committee as per the requirement.

The above committee shall consist of atleast one officer from the scheduled castes, scheduled tribes or any other backward classes.

(III) Written test - The procedure of written test and evaluation of service record shall be as such as determined in **Appendix-2.**

(IV) Declaration of the result : The selection committee shall prepare a merit list category wise on the basis of total marks secured in the written exam and service records and the final merit list shall be prepared according to the prevalent rules of reservation.

(V) Determination of promotion, training and seniority of the Head Constable Mounted Police :All candidates who have passed the departmental test shall undergo 03 months advance course in which their mutual seniority shall be decided on the basis of marks secured by them in advance training. the candidates who have secured equal marks, their mutual seniority shall be determined on the basis of their previous service on the post of Constable.

(VI) Selection to the post of Head Constable Mounted Police:- The promotion to the post of Head Constable Mounted Police shall be given on the relatively vacant post at state level.

(VII) The basis for promotion on seniority shall be as per provisions given in the Government order, subject to the rejection of unfit. The determination of seniority for the post of Constable Mounted Police shall be as per rules applicable from the date of appointment. The eligible Constable Mounted Police shall undergo a three months training as per rules.

(2) Procedure for the promotion to the post of Sub-Inspector Mounted Police :

(1) Service period: It is compulsory to have rendered not less than 05 years' service as Head constable Mounted Police.

(2) Determination of age : For promotion to the post of Sub-Inspector Mounted Police, the maximum age of the candidate must not be more than 45 years on 1st January of the recruitment year.

The Head Constable MountedPolice who fulfill the above qualifications shall be eligible to undergo state level

eligibility test conducted for the selection on the post of Sub-Inspector Mounted Police.

(3) **Determination of number of post and constitution of selection committee**: In every recruitment year the existing vacancies of Sub-Inspector and those which may fall vacant during the year shall be calculated. The selection committee nominated by Head of the Department shall conduct a departmental test under the subsequent provisions and the Head constables shall be nominated for the promotion. For the purpose of promotion from Head Constable Mounted Police to the post of Sub-Inspector MountedPolice, the committee shall be constituted as under:

1. Inspector General/Deputy Inspector General of Police -Chairman
2. Senior Superintendent/Superintendent of Police -Member
3. Asstt./Addl./ Deputy Superintendentof Police - Member

The above committee shall consist of at least one officer from the scheduled castes, scheduled tribes or any other backward classes.

(4) The selection committee so constituted shall conduct written, outer test and evaluate the service records. The committee may appoint any expert having sufficient knowledge of horse riding.

(5) **Written test**: The process of written test and evaluation of service record shall be as such as determined in **Appendix-3.**

(6) **Declaration of result-** The merit list shall be prepared on the basis of written, outer test, service records and keeping in view the rules issued by the government from time to time for the reserved categories and the selection committee shall select such number of candidates equivalent to the number of vacancies, on the basis of merit list and shall declare the result after the approval of Police Headquarters.

(7) The seniority shall be decided on the basis of the marks obtained in the final examination.

Provisions related to the Designation 9. Such trained Head Constables who have completed 16 years of regular and satisfactory service on the substantive post of constable and to whom the pay scale similar to the post of Sub-Inspector have been sanctioned, shall be given the designation of Head Constable (promotional payband). The fixation of duties of Head Constable (promotional payband) shall be done by the Head of the Department and they shall wear the uniform like Assistant Sub-Inspector(M).

Part-V

Appointment, Training, Probation, Confirmation and Seniority

Appoinment 10. If regarding one selection under rule (8) more than one order has been issued of appointment, one joint order shall also be issued in which the names of candidates shall be mentioned in the order of seniority as has been maintained in the selection or as is in the category to which they have been promoted.

Provided that, before commencement of these rules a person appointed in the service and working on the said post shall be considered as substantially appointed person and this substantial appointment shall be deemed to have been made under these rules. Constable once allotted in Mounted Police shall not be allowed to change the cadre.

Training 11. The candidates finally selected for the post of constable under rule 7 shall be required by the Head of Department to qualify a prescribed training. In the period of basic training the cadets shall be governed by the provisions as given in PTC manual. For the purpose of basic training if the selected candidates do not participate in it during prescribed time limit, their selection/candidature shall be cancelled.

Probation 12. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The probationer shall be required to get such training during his probation as the Head of the department may prescribed.

(3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(4) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunity or has otherwise failed to give, satisfaction he may be reverted to his substantive post,if any, and if he does not hold alien on any post, his services may be dispensed with.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 13. (1) Subject to the provisions of sub rule(2)a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(a) He has successfully undergone the prescribed training;
(b) His work and conduct is reported to be satisfactory; and
(c) His integrity is certified.

(2) Where,in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, confirmation is not necessary,the order under sub-rule(3)of rule5 of said rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority **14.** **(1)** The seniority of the Constables selected to Mounted Police shall be determined as under:-

(A) On the date of joining as Mounted Police after selection in Mounted Police.

(B) On being the date of joining same, the seniority shall be determined from the date of appointment to the post of Constable by assuming the Senior Head Constable as senior.

(C) On being the date of appointment to the post of constable same the seniority shall be determined on the basis of date of birth .

(D) The seniority of Mounted Police selected through any process, shall be taken into account from the date of their date of joining.

(2) The seniority of Mounted Police personnel appointed through promotion shall be determined from the date of selection and the candidates selected in the previous year shall be treated senior to the candidates appointed on later year. If for any post promotion refers to test then their mutual seniority shall be determined as per selection list forwarded by the board. If the promotion has been made on the basis of seniority then the mutual seniority of the candidates appointment on a single day shall be on the basis of their seniority in their feeder cadre. Here the date of selection shall mean the date on which the selection list was submitted by the board to the head of department for approval.

(3) Not with standing anything contained in the above said provisions, if any fact regarding seniority comes to the notice or any dispute arises, the same shall be disposed of by the head of department by issuing relevant order.

Part-VI
Pay Scale

Salary during the probation **15** (1) The pay during probation of a person who is already holding the post under the government shall be regulated by the relevant fundamental Rules:

Provided that the probation period is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) During the probation the salary of such a person, who is already in permanent government service, shall be regulated by the relevant rules as applicable on government servant related to the affairs of the state.

Pay Scale 16 (1) The payscale, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The pay scale at the commencement of these Rules shall be as follows:-

Sl. No.	Name of Post	Pay matrix level/ Pay scale
1	Sub- Inspector, Mounted Police	Pay matrix,level-7Pay scale Rs. 44900-142400
2	Head Constable, Mounted Police	Pay matrix, level-4 Pay scale Rs. 25500-81100
3	Constable, Mounted Police	Pay matrix, level-3 Pay scale Rs. 21700-69100

In addition to the above the members of service shall be entitled to the allowances as sanctioned by the Government from time to time.

Part VII Other Provisions

Canvassing 17. No recommendations, either written or oral, than those required under these rules applicable to the post or Service shall be taken into consideration. Any attempt, on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matter 18. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Establishment shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from Conditions of service 19. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of persons appointed to the Establishment causes undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of the rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner.

Appendix-1
See Rule-4(2)

Name of Post	Sanctioned
Constable Mounted Police	35
Head Constable Mounted Police	16
Sub-Inspector Mounted Police	03

Appendix--2

See Rule-8(1)(III)

(I)For promotion of the post of Head Constable Mounted Police, the subjects and their marks in the written test shall be as under

(a) General Knowledge/General Hindi (25 question)-	50 marks
(b) Police processing (25 question)	50 marks
(c) Questions related to horse rearing and preservation (100 question)	200 marks

For the written test one objective type paper shall be prepared. The first part shall comprise of General Knowledge and General Hindi. The second part shall comprise of police processing and the third part shall be of horse rearing and preservation. The entire question paper shall be of 300 marks comprising of 150 questions. All the questions will be of compulsory nature. Every right question shall bear 02 marks and for every wrong answer 1/2 mark will be deducted. Question No. 1 to 25 shall be of General Knowledge/General Hindi and question No. 26 to 50 shall be of police processing and question no. 51 to 150 shall be of horse rearing and preservation. Two hours' time shall be allotted to solve the question paper . The General knowledge/General Hindi question paper shall be of High School level and the Police processing paper shall normally be of that level which is expected from the constable police serving in that capacity. The horse rearing/preservation question paper shall be of horse rearing/its medical treatment. Question paper/Answer sheet and their evaluation shall be done through the selection committee constituted by the Police Headquarters for this purpose. The question papers/Answer sheets shall be arranged in a manner so that it could be evaluated by the computer. Besides, to conduct the horse riding test the help of an officer of horse riding police may be taken. To remain further in selection process, the candidate must have obtained 50 percent marks in each part of the question paper which shall be mandatory. Any candidate whofailsto secure 50 percent marks in any part of the paper shall be declared unsuccessful for the promotion and shall be expelled from the selection process at the said level. The candidates who have secured 50% marks in written test shall be eligible for outer test.

(II) **Outer Test** - The outer test shall be conducted as under:-

(A) Jumps - 04 times

(B) Tent Pegging - 04 times

Every candidate shall be required to try four jumps and it would be compulsory to succeed in two jumps and similarly the candidate have to make effort for four tent pegging.

The candidates who shall be successful in the above, their service record shall be evaluated by the committee constituted for this purpose. The candidates who would be unsuccessful shall be declared ineligible and shall be shunted out from the selection process at the said level.

(III) The evaluation of service record - The evaluation of service record shall be of 50 marks which shall be determined as under:-

(1)Course (Max Marks 10)

(A)Course for 3 days to 7 days	02 marks
(B)Course for 8 days to 14 days	04 marks
(C)Course for 15 days to 30 days	06 marks
(D)Course for above 01 month	08 marks

(the basic and refresher course shall not be takeninto account)

(i)The basic course shall comprise of the following courses:

1. Basic training of the constable.

2. Driver course, Bomb Disposal Course, Armourer course, Bugler course, Shadow- Gunner course, ITI-PTI course, Horse Rider Police course, Traffic Police Course, KumbMela Training and CCTNS course, Disaster course

3. Besides the above, all those courses which are essential for appointment to any post. .

(ii)On being selected/appointed to any technical post suchas Bomb Disposal Squad/Armourer/Bugler/Driver ,the marks obtained in the higher training by a candidate shall be provided as per the training period.

(2) Awards/Medal (Max Marks 25)

(a) For every cash award 01 mark (Max Mark 10)

(b) the President's Police medal- 10 marks

Hon'ble Prime Minister live saving medal	- 10 marks
Police bravery award	- 10 marks
Commendable service police medal	- 08 marks
the Governor medal	- 06 marks
Hon'ble Chief Minister medal	- 06 marks
Excellent services award	- 04 marks
Commendable services award	- 02 mark

(3)Annual report on every entry (Max marks 15)

(A) Excellent category/

Outstanding - 02 marks

(B) Very Good/Excellent - 01 marks

(4) Determination of negative marking

(1) During the service before the last 5 years- 05 marks shall be deducted for every adverse integrity.

(2) For every year of 5 years before the last 05 years- 02 marks shall be deducted for every adverse entry.

(3) For every major punishment before the last 05 years-05 marks shall be deducted .

(4) For every minor punishment before the last 05 years-02 marks shall be deducted .

(5) For every petty punishment before the last 05 years-01 marks shall be deducted .

For the purpose of evalution of service records confidential target shall be calculated for the last 10 years and the calculation for the punishment shall be upto last 10 years. Where as the service record for service, education training, award, medal etc. shall be evaluated for the period of up to 01st July of the selection year.

Appendix -3

See Rule-8(2)(5)

(a) For promotion of the post of Sub Inspector Mounted Police, the subjects and their marks in the written test shall be as under:-

1. General Knowledge & Hindi - 30 marks
2. Veterinary test - 30 marks

The written test shall be of multi-optional objective type which shall comprise of General Knowledge and General Hindi of 30 marks and 30 marks shall be of veterinary test . The candidates who would secure 50 percent or more marks in the test shall be allowed to compete in outer test (Riding, Jump, Trap, Drill, Sword & lens) . The written test shall be only for qualifying the test and its marks shall not be counted for seniority or selection .

(2) Outer test : The outer test shall be of 140 marks and the marks shall be divided as under . To pass the test 50 percent marks shall have to be secured.

1. Riding - 35 marks
2. Jump - 35 marks
3. Trap Drill - 35 marks
4. Sword & Lens - 35 marks

(3) Evaluation of service records :The evaluation of service record shall be of 50 marks which shall be determined as under:-

(1) Course (Max Marks 10)

(A)Course for 3 days to 7 days 02 marks
(B)Course for 8 days to 14 days 04 marks
(C)Course for 15 days to 30 days 06 marks
(D)Course for above 01 month 08 marks

(the basic and refresher course shall not be takeninto account)

(i) The basic course shall comprise of the following courses:

1. Basic training of the constable.
2. Driver course, Bomb Disposal Course, Armourer course, Bugler course, Shadow-Gunner course, ITI-PTI course, Horse Rider Police course, Traffic Police Course, KumbMela Training and CCTNS course, Disaster course
3. Besides the above, all those courses which are essential for appointment to any post.

(ii) On being selected/appointed to any technical post suchas Bomb Disposal Squad/Armourer/Bugler/Driver ,the marks obtained in the higher training by a candidate shall be provided as per the training period.

(2) Awards/Medal (Max Marks 25)

(a) For every cash award 01 mark (Max Mark 10)

(b) His Excellency, the President's Police medal- 10 marks
- Hon'ble Prime Minister live saving medal- 10 marks
- Police bravery award - 10 marks
- Commendable service police medal - 08 marks
- His Highness the Governor medal- 06 marks
- Hon'ble Chief Minister medal- 06 marks
- Excellent services award - 04 marks
- Commendable services award- 02 mark

(3)Annual report on every entry (Max marks 15)

(A)Excellent category/Outstanding - 02 marks

(B)Very Good/Excellent - 01 marks

(4) **Determination of negative marking**

(1) During the service before the last 5 years- 05 marks shall be deducted for every adverse integrity.

(2) For every year of 5 years before the last 05 years- 02 marks shall be deducted for every adverse entry.

(3) For every major punishment before the last 05 years-05 marks shall be deducted .

(4) For every minor punishment before the last 05 years-02 marks shall be deducted .

(5) For every petty punishment before the last 05 years-01 marks shall be deducted .

For the purpose of evalution of service records confidential target shall be calculated for the last 10 years and the calculation for the punishment shall be upto last 10 years. Where as the service record for service, education training, award, medal etc. shall be evaluated for the period of up to 1st July of the selection year.

By Order,

ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 46 हिन्दी गजट/617—भाग 1 2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2018 ई० (कार्तिक 26, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

09 अक्टूबर, 2018 ई०

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 5155/रा०कर आयु० उत्तरा०/रा०क०मु०/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 897/2018/146(120)/XXVII(8)/2008 तथा शुद्धि पत्र संख्या 897(i)/2018/146(120)/XXVII(8)/2008, समदिनांकित 04 अक्टूबर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III के क्रमांक 2 तथा 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के कर की दर में संशोधन तथा अधिसूचना संख्या 897, दिनांक 04.10.2018 के अंग्रेजी पाठ में दी गई तालिका के क्रम संख्या में त्रुटि हेतु शुद्धि–पत्र जारी किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना एवं शुद्धि–पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

04 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 897/2018/146(120)/XXVII(8)/2008–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची III के क्रमांक 2 तथा 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्–

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
2	मोटर स्प्रिट जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है	विनिर्माता या आयातकर्ता	22.07 प्रतिशत या रू0 14.50 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो
3	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	विनिर्माता या आयातकर्ता	13.53 प्रतिशत या रू0 8.40 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 897/2018/146(120)/XXVII(8)/2008,** dated October 04, 2018 for general information.

NOTIFICATION

October 2018

No. 897/2018/146(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, is pleased to allow, with immediate effect the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:--

Amendment

In Schedule-III, for the existing entry are serial no. 2 and 3, the following entry shall be substituted; namely :--

Sl. no	Description of Goods	Taxation Point	Rate of Tax
1	Motor Spirit as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939	Manufacturer or Importer	22.07 Percent or Rs. 14.50 per lit. whichever is greater
2	Diesel Oil as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939	Manufacturer or Importer	13.53 Percent or Rs. 8.40 per lit. whichever is greater

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

शुद्धि–पत्र

04 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 897(i)/2018/146(120)/XXVII(8)/2008–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा अधिसूचना सं0 897/2018/146(120)/XXVII(8)/2008, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के अंग्रेजी पाठ में दी गई तालिका में क्रम संख्या 1 के स्थान पर "2" तथा क्रम संख्या 2 के स्थान पर "3" पढ़ा जाये, शेष यथावत् रहेंगे।

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

विपिन चन्द्र,

अपर आयुक्त राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

21 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 656/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015, के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री सुनील पुत्र श्री सूरजमणी, ग्राम गौरीकुण्ड, थाना सोनप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320170012492, VALIDITY(NT)-16.08.2037	नशे की हालत में वाहन का संचालन	S.P., RUDRAPRAYAG	29.08.2018 से 28.11.2018
2.	श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी ग्राम नैनी पौडार, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320170012672, VALIDITY(NT)-13.09.2037	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	S.P., RUDRAPRAYAG	29.08.2018 से 28.11.2018
3.	श्री विजय सिंह नेगी पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी तुनेटा भरदार, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1319870007278, VALIDITY(NT)-26.04.2022, VALIDITY(TR)-27.04.2020	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	29.08.2018 से 28.11.2018
4.	श्री जितेन्द्र लाल पुत्र श्री भीम लाल, ग्राम व पो0 पाजणा, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320170012981, VALIDITY(NT)-01.11.2037	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	29.08.2018 से 28.11.2018
5.	श्री ललित मोहन सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, ग्राम भीरी, पो0 ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320180000641, VALIDITY(NT)-02.05.2038	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	29.08.2018 से 28.11.2018

आदेश

05 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 664/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0–पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अग्रसारित चालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री सोबत सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, ग्राम डालसिगी, पो0 बसुकेदार, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320140005269, VALIDITY(NT)-13.02-2019, VALIDITY(T)-26.03.2021	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018
2.	श्री नवीन सिंह रावत पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम कोठैडा भलासू, पो0 नारायणकोटी, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320100000432, VALIDITY(NT)-08.11.2030, VALIDITY(T)-13.08.2021	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018
3.	श्री अखिल बैजवाल पुत्र श्री अरविन्द बैजवाल, ग्राम सिल्ली शेरा, थाना अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320160009431, VALIDITY(NT)-07.04.2036, VALIDITY(TR)-15.06.2020	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018
4.	श्री संतोष लाल पुत्र श्री शिव लाल, ग्राम व पो0 पिल्लू, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320140006336, VALIDITY(NT)-24.09.2034, VALIDITY(T)-08.02.2021	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018
5.	श्री भरत सिंह कण्डारी पुत्र श्री माधो सिंह कण्डारी, ग्राम बमसू, पो0 कण्डाई, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1319930004098, VALIDITY(NT)-20.07.2023, VALIDITY(T)-04.04.2019	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018
6.	श्री सते सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम फाफंज, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320160010890, VALIDITY(NT)-14.12.2036, VALIDITY(T)-04.07.2021	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018
7.	श्री हर्ष लाल पुत्र श्री इन्द्र लाल, ग्राम गिरीया, पो0 मनसूना, थाना ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320120002514, VALIDITY(NT)-26.06.2032, VALIDITY(T)-12.03.2021	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	06.09.2018 से 05.12.2018

आदेश

05 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 665/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0–पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अग्रसारित चालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री मोहनी सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह, महादेव मोहल्ला, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320150007756, VALIDITY(NT)-09.06.2035	नशे की हालत में वाहन का संचालन	S.P., PAURI	05.09.2018 से 04.12.2018
2.	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, ग्राम बंसी सेनारी, पो0 सौराखाल, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320130004345, VALIDITY(NT)-15.07.2033, VALIDITY(T)-11.09.2020	ओवर स्पीड व रैश ड्राइविंग	S.P., TEHRI	05.09.2018 से 04.12.2018

आदेश

14 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 693/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018—मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0—पार्ट—3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0—पार्ट—3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:—

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री नरेश सिंह पुत्र श्री भ्योराज सिंह रावत, ग्राम बडासू, पो0 फाटा, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320150007538, VALIDITY(NT)-01.05.2035, VALIDITY(T)-27.10.2019	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	14.09.2018 से 13.12.2018
2.	श्री नितिन राणा पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह राणा, सी—28, विकास निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली—110034	DL-0920110130751, VALIDITY(NT)-27.06.2031	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	S.P., RUDRAPRAYAG	14.09.2018 से 13.12.2018
3.	श्री प्रेम सिंह सिंधववाल पुत्र श्री नारायण सिंह, ग्राम ठंड, पो0 परकण्डी, थाना ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320110000222, VALIDITY(NT)-27.02.2031, VALIDITY(T)-02.08.2018	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	14.09.2018 से 13.12.2018

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
4.	मो0 मुद्दसर नजर पुत्र श्री महमूद अहमद, पता—ए—3/34, राजवीर कॉलोनी, घरौली एक्सटेन्सन, दिल्ली—110092	P07002006381534, VALIDITY(NT)-07.08.2026,	नशे की हालत में वाहन का संचालन	S.P., RUDRAPRAYAG	14.09.2018 से 13.12.2018
5.	श्री आशीष पुत्र श्री धन सिंह, ग्राम रैतोली, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320150008366, VALIDITY(NT)-18.09.2035, VALIDITY(T)-07.06.2020	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	14.09.2018 से 13.12.2018

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/617—भाग 1—क—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।